**COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI**

**Satyanarayan Sheohare** **S.T-200/2023**

**District & Addl. Sessions Judge I- Jamui**

**Citranjan Kuamr Vs. Baleshwar Kora & othsrs**

**28.03.2026** दोनों अभियुक्त अर्जून कोरा एवं बालेश्वर कोरा को कारा से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर दोनों अभियुक्त एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभियुक्त विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामला दिनांक–25.08.2023 को भा0द0वि की धारा 147, 148, 307, 149, 121, 121(A), 120(B), एवं शस्त्र अधिनियम की धारा–25(1-AA), 26 एवं विष्फोटक अधिनियम 4, 5 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा–16, 17, 18, 20, 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक मात्र एक साक्षी, जो कांड का सूचक है, का साक्ष्य हुआ। जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनास्थल पर उसने किसी को नहीं देखा था सिर्फ समान बरामद हुआ था। अभियुक्तों का नाम गुप्तचर ने बताया था। उसने किसी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया था क्योंकि वहां कोई था नहीं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले में दिनांक–02.11.2022 से अभियुक्त सतत काराधीन है। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–27.02.2026 को यह आदेश किया गया था कि अगली तिथि को साक्ष्य नहीं आने पर अभियुक्त को दं0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ दिया जा सकता है तथा इस आदेश से विद्वान अपर लोक अभियोजक को हस्ताक्षर लेकर अवगत कराया गया था। अगली तिथि दिनांक–16.03.2026 को न्यायहित में पुनः अंतिम अवसर दिया गया तथा आज के लिए तिथि नियत की गई। आज ना ही साक्षी है एवं ना ही साक्ष्य हेतु समय आवेदन है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को पूर्व आदेश के आलोक में दं0प्र0स0 की धारा 232 के अंतर्गत दोषमुक्ति के योग्य हैं।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। मैं अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ। फलतः अभियुक्तों की जॉचोपरांत अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगे इस मामले में आरोप से द0प्र0सं0 की धारा 232 के अन्तर्गत दोष मुक्त किया जाता है तथा उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
व्यवहार न्यायालय, जमुई।